न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 108 / 2016

1 जगमोहन सिंह उम्र 57 साल पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बजावा रावतका तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 विक्रम सिंह उम्र 55 साल पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बजावा रावतका तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 अशोक सिंह उम्र 42 साल पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बजावा रावतका तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 चावली उम्र 60 साल पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी बजावा रावतका तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 मनफुल उम्र 46 साल पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी बजावा रावतका तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 महेन्द्र उम्र 44 साल पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी बजावा रावतका तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
5 प्रहलाद उम्र 42 साल पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी बजावा रावतका तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
6 श्रीमान नायब तहसीलदार कम उप पंजीयक गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
7 श्रीमान तहसीलदार महोदय, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.08.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 04/2016 उनवानी मुकदमा जगमोहन बनाम अशोक सिंह आदि

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2016 में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस से एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 159, 157, 158, 1292/724 वाके ग्राम बजावा रावतका का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आवेदकगण व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 5 व दावे में प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 19 एक ही गांव बजावा रावतका के निवासी है। आवेदकगण व अनावेदक संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 19 की सहखातेदारी शुदा कृषि भूमि ग्राम बजावा रावतका की सरहद में खसरा नम्बर 159 रकबा 2.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

158 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.50 हैक्टेयर अवस्थित है तथा अनावेदकगण 2 लगायत 5 की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1292/724 रकबा 0.13 हैक्टेयर अवस्थित है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा। मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में आवेदकगण व अनावेदक संख्या 1, व प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 19 का हिस्सा 0.35 हैक्टेयर अवस्थित है शेष हिस्से में अनावेदकगण काबिज काश्त है। अपने अपने हिस्से अनुसार आवेदकगण व अनावेदकगण का मौके पर मौखिक विभाजन अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवेदकगण व अनावेदक संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 19 ने वादग्रस्त भूमियों में अपने हिस्से की भूमि के चारों तरफ पक्की दीवार व एक तरफ मिट्टी की डोल लगाकर पुख्ता सीमा बन्दी कर काश्त करते आ रहे है ताकि पशु मवेशियों आदि से फसल की रक्षा हो सके। धारा 3 में वर्णित विवादग्रस्त भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। जिसको लेकर काश्त के मौसम में अन्य सहखातेदार के मध्य सीमा विवाद बना रहता है कब्जे काश्त में विवाद उत्पन्न होता है जिसके लिए आवेदकगण ने अन्य सहखातेदारान अनावेदकगण को मौखिक विभाजन अनुसार तहसील में चलकर विधिवत विभाजन हेतु बार–बार निवेदन किया मगर अनावेदकगण ने तहसील में आकर विभाजन करवाने से इन्कार हो जाने तथा मौके पर कब्जे काश्त की भूमि में दखलअंदाजी कर आवेदकगण के कब्जे काश्त की भूमि में अन्य दिगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकी देते है। दिनांक 28.12.2015 को आवेदकगण अपनी कब्जे काश्त की भूमि में काश्त को संभालने गये तो अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 के साथ मिलकर भूमि खसरा नम्बर 1292/724 आवेदकगण के सींव जोड़ है, ने आवेदकगण को धमकी दी कि हम तुम्हारी सींव व दिवार को तोड़कर तुम्हारे कब्जे काश्त की भूमि में खड्डा खोदकर गंदा पानी डालेंगे तथा अनावेदक संख्या 1 ने आवेदकगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि का बिना विभाजन किये उनके हिस्से की भूमि को अन्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दिगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकी दी जिस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में होने से अपूर्णीय क्षति भी आवेदकगण को ही कारित होती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि का मौखिक विभाजन होकर सभी सहखातेदार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा स्वयं आवेदकगण ने अपने हिस्से की भूमि पर चारदीवारी व डोल लगाकर कब्जा काश्त होना अंकित किया है। भूमि खसरा नम्बर 1292/724 रकबा 0.13 हैक्टेयर की खातेदारी अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 के नाम से दर्ज रिकार्ड है, राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि से आवेदकगण व अनावेदक संख्या 1 का कोई लेना देना नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार स्वयं आवेदकगण एवं अनावेदकगण ने स्वीकार किया है कि सभी सहखातेदारान अपने अपने की भूमि पर काबिज काश्त है। जिससे साबित है कि मौके पर भूमि के विधिवत विभाजन को लेकर कोई विवाद नहीं है तथा आवेदकगण एंव अनावेदक संख्या 1 खसरा नम्बर 1292/724 रकबा 0.13 हैक्टेयर के तो खातेदार ही दर्ज रिकार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण को अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकारी नहीं हैं तथा कानूनन एक सेपरेट खातेदारों को पाबन्द करवाने का कोई विधिक अधिकार आवेदकगण का नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 ग्राम बजावा के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 157, 158 की खातेदारी मणी पत्नी स्व. माला राजेशकुमार पुत्र माला कौम जाट 9 बीघा 3 बिश्वा हि., रघुवीरसिंह जगमोहनसिंह विक्रमसिंह दशरथ सिंह मदनसिंह अशोकसिंह पि. नारायणसिंह भंवरी देवी पत्नी स्व. नारायणसिंह 1 बीघा 5 बिश्वा कौम जाट सा. खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 ग्राम बजावा के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 159 की खातेदारी राजेन्द्रसिंह पु. कानाराम जाति जाट हि. 0.72 है., ब्रह्मानन्द पुत्र हीराराम जाति जाट हि. 1.10 है. विजयसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत हि. 0.05 हैक्टेयर मणी मालाराम हि. 0.05 हैक्टेयर जाति जाट मोहनलाल पुत्र भोलाराम हि. 0.14 हैक्टेयर जाति महाजन, रघुवीर सिंह जगमोहनसिंह विक्रमसिंह दशरथसिंह मदनसिंह अशोकसिंह पि. नारायण सिंह हि. ब. 0.28 हैक्टेयर जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 ग्राम बजावा के भूमि खसरा नम्बर 1292/724 की खातेदारी चावली पत्नी स्व. बजरंग हि. 1/5, मनफूल महेन्द्र पि. बजरंग हि. 4/5 दर हिस्सा 1/2 प्रहलाद पि. घड़सी राम हि. 1/2 जाट सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सहखातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय को विधिवत विभाजन से पूर्व पक्षकारों को विशिष्ट भू–भाग का विक्रय अंतरण नहीं करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिए थी। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं ताफैसला वाद उभयपक्ष को ग्राम बजावा रावतका की भूमि खसरा नम्बर 159, 157, 158, 1292/174 में विशिष्ट भू–भाग को दर्शाते हुए विक्रय अंतरण नहीं करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 24/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार म)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर